धारा 152 : सूचना के प्रकटन पर वर्जन

(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गई [1][.....] सूचना, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित विशिष्टियों की पहचान को समर्थ बनाया जा सके और ऐसी सूचना [2][संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना] इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(2) [3][.....]

(3) इस धारा की कोई बात, कराधेय व्यक्तियों के वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन को लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा ''किसी विवरणी या उसके भाग की'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

''(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन आंकड़ों को एकत्रित करने में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उनके संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक पहुंच को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।''